विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2023 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी, मा. सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं–15 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
15(क) क्या आबकारी मंत्री बतायेंगे कि बस्ती मण्डल में स्थित जनपद में संचालित शराब की दुकानों को मंदिरों तथा मस्जिदों के साथ–साथ सभी स्तर के विद्यालयों के समीप स्थापित करने की व्यवस्था है?	उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति (यथा संशोधित) नियमावली, 1968 में प्रावधान है कि किसी सार्वजानिक पूजा स्थल अथवा विद्यालय अथवा चिकित्सालय अथवा आवासिक कालोनी के नगर निगम में होने के मामले में 50 मीटर की दूरी के भीतर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के होने के मामले में 75 मीटर की दूरी के भीतर व प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में होने के मामले में 100 मीटर की दूरी के भीतर दुकान या उप दुकान का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। परन्तु उक्त प्रावधान वाणिज्यिक और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में लागू नहीं होते हैं।
(ख) क्या मंदिरों, मस्जिदों तथा शैक्षिक संस्थाओं के निकट दुकानों को स्थापित करने से वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के अध्ययन में बाधा के साथ–साथ धार्मिक भावनाओं के प्रति ठेस भी पहुँचाई जा रही है?	जी नहीं।
(ग) यदि हॉ, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।

नितिन अग्रवाल
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
आबकारी विभाग।